न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 09/2019

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्रीमती शिवानी सोमरा पत्नी श्री जयवीरसिंह जाट (विक्रेता मालिक) मैसर्स श्री कान्हा डेयरी, नहर पुलिया के पास, वार्ड नं. 10, उदासर–बीकानेर राजस्थान

अप्रार्थीया

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीया की ओर से – श्रीमती शिवानी सोमरा स्वयं

: निर्णय : दिनांक 09.10..2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 29.05.2019 को अप्रार्थीपक्ष श्रीमती शिवानी सोमरा पत्नी श्री जयवीर सिंह जाट (विक्रेता मालिक) मैसर्स श्री कान्हा डेयरी, नहर पुलिया के पास, वार्ड नं. 10 उदासर, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान एक एल्युमिनियम केन में 07 लीटर गाय का दूध आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त गाय का दूध में से 2 लीटर नमूना संग्रह हेतु 62 रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंदे फॉर्मिलिन की डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढ़क्कन से एयर टाईट बंद किया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक जे–1609 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया तथा प्रत्येक नमूने बोतलों को नियमानुसार चपड़ी से सीलबन्द एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया। उक्त सीलबन्द बोतलों में से एक सीलबन्द बोतल मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

जिनके यहां से दिनांक 12.06.19 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई, जिसमें गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड स्तर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया श्रीमती शिवानी सोमस स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय के दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk solids not fat % Min.=8.3% की तुलना में 6.71% प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीया ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया कि अप्रार्थीया के घर पर गाये रखी हुई है। दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। स्वयं की देखरेख में शुद्ध दूध विक्रय करती है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सैम्पल दुकान से लिया गया है जो सही नहीं है अप्रार्थीया द्वारा डेयरी फार्म (घर) से ही दिन के 2 बजे के लगभग गाय का ताजा दूध निकाल कर दिया है। जिसकी कोई कीमत नहीं ली है। अप्रार्थीया ने यह भी निवेदन किया कि वे पशुओं के क्रय–विक्रय का काम करते है गाय–खरीदते बेचते रहते है। अपना जीवन यापन करते है। समाज को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं है और ना ही होगा। कुछ असामाजिक लोगों ने अप्रार्थीया की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी जहां वे रहते है और पशु रखते है। जिसके चलते ये लोग जगह–जगह शिकायत करके परेशान करने की कोशिश कर रहे है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीया पर लगाये गये आरोप गलत है। अतः अप्रार्थीया के भविष्य का ध्यान करते हुए फैसला देने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/1385/एक्ट/2019/919 दिनांक 12.06.2019 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk Solids not fat percentage Min.=8.3 % की तुलना में 6.71% का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थीया द्वारा सबस्टेण्डर्ड का दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(II) का उल्लंधन किया है।

6. अतः अप्रार्थीया द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थीया के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये **30,000/– (अखरे रूपये तीस हजार मात्र)** की शास्ति आरोपित करते है।

7. अप्रार्थीया को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड डाक पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.)बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर